न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 53 / 2020

वादीगण –

1. जगदेव पुत्र भंवरलाल
2. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल
   जातियान–जाट निवासीगण मांगलोद तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. भंवरलाल पुत्र तिलोकराम
2. राजू पुत्री भंवरलाल
3. प्रबंधक स्टेट बैंक इण्डिया शाखा मांगलोद।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला–नागौर।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री दशरथसिंह राठौड अधिवक्ता वादीगण
2. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. प्रतिवादीस संख्या 3 का नाम दिनांक 26.10.2020 को हटाया गया।
4. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय **दिनांक :** 03/11/2020

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 पिता, पुत्र व पुत्री है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पुश्तैनी बडेर के खेत खसरा नं. 118, 119, 571, 619, 751 के रूप में मौजा मांगलोद तहसील–जायल मे स्थित है। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने माफिक वाद पत्र बंटवारा स्कीम पैरा संख्या 3 (क, ख, ग) अनुसार बंटवारा कर काबिज हो गये है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वाद स्वीकार

03/11/2020
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ ने दिनांक 13.07.2020 को वकालात नामा व ईकबालिया जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। दौराने वाद दिनांक 26.10.2020 को वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी का प्रतिवादी संख्या 3 को प्रकरण हाजा में पक्षकार हटाने संबंधी पेश किया जो स्वीकार गया। प्रतिवादी संख्या 3 को प्रकरण में (स्ट्राईक आऊट) डिलिट किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का इकबालिया जबाव व प्रकरण तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दु (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्यवादी में शपथ पत्र गवाह ओमप्रकाश का शपथ पत्र पेश किये गये जिस पर गवाह के बयान कलमबद्ध किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 नया खाता संख्या 273 (पुराना खाता संख्या 216) खसरा नं. 118, 119, 571, 619, 751 प्रदर्श–1 कराये जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में इकबालिया जवाब व वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र को माफिक वाद स्वीकार किये जाने को निवेदन किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रकरण में इकबालिया जबाब प्रस्तुत किया गया है। मुतदाविया खेताय की भूमि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मांगलोद के रहन दर्ज होने से पत्रावली में पक्षकार संयोजित किये गये थे जो कि जरिये नामान्तकरण संख्या 1780/06.03.2020 के विवादग्रस्त खेताय रहन मुक्त होने पर प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी स्वीकार कर हटाया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त खेताय की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की होना नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 नये खाता संख्या 273 के अवलोकन से होती है। बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी अनुसार बंट किया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में समस्त पक्षकारान वादपत्र में संयोजित है तथा वादपत्र के पैरा के अनुसार ग्राम

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

(ग) कि प्रतिवादी भंवरलाल ...
खेताय ख.न. 119,619,571 यथावत् रखे गये है।

जगदेव

राजस्व वाद 53/2020
जगदेव बनाम भंवरलाल वगैरह

मांगलोद तहसील जायल के खसरा नं. 118 व 751 की भूमि की खातेदारी की घोषणा व बंटवारा स्वीकार किये जाने तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अनुतोष पक्षकारान द्वारा चाहा गया है। पक्षकारान् पिता के जिवित रहते हुये पुश्तैनी खेताय की भूमि में सहखातेदार घोषित होना चाहते है एवं पिता की सहमति है। अतः ग्राम मांगलोद तहसील के खाता संख्या नया 273 (पुराना 216) में प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के साथ वादीगण जगदेव व ओमप्रकाश एवं प्रतिवादी संख्या 2 राजू को सहखातेदार घोषित किया जाना तथा हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त खेतायो में से वादीगण द्वारा पृथक–पृथक खसरों का पूर्णरूपेण विभाजन किये जाने तथा खातेदारी घोषित किये जाने का अनुतोष है। वादग्रस्त खेताय में वादीगण द्वारा विवादग्रस्त खेताय में से खसरा नं. 118 व 751 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन चाहा जिससे लगान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वादीगण वाद को सम्पुष्ट करने में सफल रहे है। अतः प्रकरण में प्राथमिक डिक्री न की जाकर अन्तिम डिक्री किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होता है।

– : : **आदेश** : : –

यत् वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा वादी संख्या 1 जगदेव व वादी संख्या 2 ओमप्रकाश व प्रतिवादी संख्या 2 राजू को प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के साथ ग्राम मांगलोद तहसील जायल के विवादग्रस्त खेत खसरा नं. 118, 119, 571, 619, 751 में सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा वादग्रस्त निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. वादी जगदेव के हक बंट, कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम मांगलोद तहसील जायल के खसरा नं. 118 रकबा 2.0963 हैक्टेयर घोषित किया जाता है।
2. वादी ओमप्रकाश के हक बंट, कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम मांगलोद तहसील जायल के खसरा नं. 751 रकबा 2.0801 हैक्टेयर घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल व प्रतिवादी संख्या 2 राजू के हक बंट कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी में खसरा नं 119, 619 571 ग्राम मांगलोद तहसील जायल घोषित किये जाते है।

तदनुसार लगान की कायम की जावे। माफिक आदेश अन्तिम डिक्री पर्चा तैयार होकर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

23/11/2020
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

राजस्व वाद 53/2020
जगदेव बनाम भंवरलाल वगैरह

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 53/2020

वादीगण –
1. जगदेव पुत्र भंवरलाल
2. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल
   जातियान–जाट निवासीगण मांगलोद तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. भंवरलाल पुत्र तिलोकराम
2. राजू पुत्री भंवरलाल
3. प्रबंधक स्टेट बैंक इण्डिया शाखा मांगलोद।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला–नागौर।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–
1. श्री दशरथसिंह राठौड अधिवक्ता वादीगण
2. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. प्रतिवादीस संख्या 3 का नाम दिनांक 26.10.2020 को हटाया गया।
4. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री दशरथसिंह अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ तिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि : –

1. वादी जगदेव के हक बंट, कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम मांगलोद तहसील जायल के खसरा नं. 118 रकबा 2.0963 हैक्टेयर घोषित किया जाता है।
2. वादी ओमप्रकाश के हक बंट, कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम मांगलोद तहसील जायल के खसरा नं. 751 रकबा 2.0801 हैक्टेयर घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल व प्रतिवादी संख्या 2 राजू के हक बंट कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी में खसरा नं 119, 619, 571 ग्राम मांगलोद तहसील जायल घोषित किये जाते है।

तदनुसार लगान कायम हो।

03/11/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् – खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...03/11/2020 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर० तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर जायल
03/11/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)